भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1267

11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाना

1267**. श्री पी. सी. मोहन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेंगलुरु सहित कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आपूर्ति श्रंखला में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी विशेषकर बैटरी, मोटर और चार्जर जैसे प्रमुख इलेक्ट्रिक घटकों के विकास में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित बेंगलुरु और अन्य क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले विनिर्माताओं द्वारा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी निगरानी तंत्र की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या योजना के स्थानीय सोर्सिंग अधिदेशों ने बेंगलुरु और व्यापक क्षेत्र सहित कर्नाटक में घरेलू ईवी घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर प्रभाव डाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत बेंगलुरु सहित कर्नाटक के लिए ऐसा कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाया गया है। तथापि, इस योजना के तहत, चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य के निर्माताओं को शामिल किया गया है ताकि ईवी घटकों का प्रगतिशील स्थानीयकरण सुनिश्चित किया जा सके, घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। भारी उद्योग मंत्रालय ने विनिर्माताओं द्वारा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पीएमपी अधिदेश ने घरेलू ईवी घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

*****